

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

प0.5(1)चिस्वा/2/2023/राजकाज-14929

जयपुर, दिनांक

**आदेश**

डॉ0 राम राय शर्मा, रजिस्ट्रार सीफू, जयपुर की स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है—

1. दिनांक 15.09.2022 से 28.10.2022 तक 44 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
2. दिनांक 29.10.2022 से 17.01.2023 तक 81 दिवस का उपाजित अवकाश।

उक्त अवधि का वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के अधीन चि0अ0 एवं समकक्ष पद से आहरित होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0, जयपुर।
2. निदेशक, सीफू, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
4. डॉ0 राम राय शर्मा, रजिस्ट्रार सीफू, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.08.25 17:57:49 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584697



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/आर-1751/2023/406

दिनांक : 06/09/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 25.08.2023 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर।
4. निदेशक(सीफू) राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बासंवाडा।
6. डॉ0रामराय शर्मा, रजिस्ट्रार सीफू जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेसवाईटपर आज ही अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।